



**दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मिश्रित उ.मा. विद्यालय, नैनपुर**  
**SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY M.H.S. SCHOOL**

Near Rly. Station, Nainpur (M.P.) – 481776

Phone: 07646 – 292004

Email: [secrmhss.nainpur@gmail.com](mailto:secrmhss.nainpur@gmail.com)

Website: [www.railwayschoolnainpur.in](http://www.railwayschoolnainpur.in)

CBSE AFFILIATION NO. : 1080015

SCHOOL CODE - 54014

दिनांक 02/07/2026

प्रति,

सर्वसाधारण

(विद्यालय की वेबसाइट/विद्यालय नोटिस बोर्ड/रेलवे स्टेशन/नगरपालिका नैनपुर)

विषय:- हाउस कीपिंग असिस्टेंट प्रदान करने हेतु निविदा जमा करने हेतु।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस विद्यालय के दोनों भवनों/परिसरों की साफ-सफाई हेतु शासन द्वारा पंजीकृत किसी बाहरी एजेंसी से 02 हाउस कीपिंग असिस्टेंट की आवश्यकता है।

निविदा प्रस्तुत करने हेतु कार्य का विवरण एवं आवश्यक शर्तें:-

1-समय सामान्य दिनों में- सुबह 07:00 से दोपहर 11:00 एवं दोपहर 02:00 से सायं 06:00 बजे तक।

नोट:- विद्यालय की आवश्यकतानुसार समय परिवर्तित किया जा सकता है।

2-वैकल्पिक कर्मचारी- यदि ठेका प्राप्त करने वाली एजेंसी के द्वारा भेजे जा रहे किसी कर्मचारी के द्वारा अवकाश लिया जाता है तो संबंधित एजेंसी उसके बदले अन्य कर्मचारी को निर्धारित समय पर भेजकर कार्य कराना सुनिश्चित करेगी।

3-कार्य का विस्तृत विवरण- (टॉयलेट्स की धुलाई व सफाई), (कॉरीडोर व सभी कमरों, अलमारियों, खिड़कियों, रोशनदानों तथा विद्यालय की अन्य सामग्री की सफाई एवं पोछा), खेलकूद का मैदान व अन्य सभी विद्यालय परिसर के भीतर व बाहर स्थित स्थान, जहां विद्यालय की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं की साफ-सफाई व कचरा निस्तारण करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रति सप्ताह संपूर्ण बिल्डिंग में लगे जाले आदि भी निकालना होंगे। जरूरत पड़ने पर बिल्डिंग की छत आदि की भी साफ-सफाई करनी होगी।

4-आवश्यक सामग्री- आवश्यक समस्त सामग्री व उपकरण विद्यालय के प्राचार्य द्वारा लिखित मांगपत्र प्रस्तुत करने पर विद्यालय के खर्च पर निःशुल्क उपलब्ध कराये जाएंगे, जिनका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5-पारिश्रमिक-मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर घोषित की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी जो अप्रशिक्षित कर्मचारियों हेतु निर्धारित है, से कम का भुगतान कर्मचारियों को नहीं किया जा सकेगा। इससे कम राशि की निविदा प्राप्त होने पर उसे निरस्त कर दिया जाएगा।

6-विद्यालय में कार्य हेतु भेजे गए कर्मचारियों को मासिक भुगतान करने की रसीद की मूल प्रति के साथ विद्यालय प्राचार्य के समक्ष बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान एकाउंट पेथी चैक द्वारा किया जाएगा।

7-वर्तमान में ठेका 30 अप्रैल 2027 तक के लिये दिया जा रहा है। कार्य की गुणवत्ता सही होने पर इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा। कार्य की गुणवत्ता सही नहीं होने पर ठेका इससे पहले भी निरस्त करने का अधिकार विद्यालय प्राचार्य के पास सुरक्षित रहेगा। कर्मचारियों की संख्या विद्यालय की आवश्यकतानुसार विद्यालय प्राचार्य निर्धारित कर सकेंगे।

नोट:-रेलवे द्वारा किसी स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारी की विद्यालय में साफ-सफाई हेतु नियुक्ति किये जाने पर यह ठेका तत्काल समाप्त हो जाएगा। ठेका कर्मचारियों को कार्य के आधार पर रेलवे से किसी भी प्रकार की नियुक्ति स्थायी अथवा अस्थायी पद पर मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

8-ठेका प्राप्त करने वाली एजेंसी द्वारा जिन कर्मचारियों को विद्यालय की साफ-सफाई के लिये भेजा जाएगा, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा एवं उसकी छायाप्रति विद्यालय प्राचार्य के पास जमा करना अनिवार्य होगा।

9-ठेका एजेंसी द्वारा प्रदान किये गये कर्मचारियों के आवरण व सुरक्षा हेतु ठेका एजेंसी जिम्मेदार होगी, रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कार्यरत कर्मचारियों को प्रतिदिन अपने पहचानपत्र के साथ यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा।

*[Signature]*  
21/07/2026  
02-7-2026

*[Signature]*  
10/7/2026

*[Signature]*  
02-07-2026



**दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मिश्रित उ.मा. विद्यालय, नैनपुर**  
**SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY M.H.S. SCHOOL**  
 Near Rly. Station, Nainpur (M.P.) – 481776

Phone: 07646 – 292004

Email: [secrmhss.nainpur@gmail.com](mailto:secrmhss.nainpur@gmail.com)

Website: [www.railwayschoolnainpur.in](http://www.railwayschoolnainpur.in)

CBSE AFFILIATION NO. : 1080015

SCHOOL CODE - 54014

10- ठेका एजेंसी द्वारा भेजे गए कर्मचारियों की उपस्थिति एवं समय का रिकार्ड एजेंसी को अपने व्यय पर स्वयं के पास सुरक्षित रखना होगा और कमेटी मेंबर या विद्यालय प्राचार्य के द्वारा मांगे जाने/निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना होगा। कर्मचारी के अर्द्धावकाश का भी रिकार्ड रखना होगा। यदि कर्मचारी का कार्य, आचरण व व्यवहार उससे अपेक्षा के विपरीत पाया जाता है तो उसे तत्काल कार्य से हटा दिया जाएगा।

11- ठेका एजेंसी द्वारा या उसके द्वारा भेजे गए कर्मचारियों के द्वारा विद्यालय की किसी सामग्री की चोरी या नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ठेका एजेंसी को करना होगी। इस हेतु ठेका कंपनी को सुरक्षा निधि के रूप में 35,000/- रुपये नगद विद्यालय प्राचार्य के पास जमा करने होंगे जिसमें से नुकसान/चोरी की भरपाई की जाएगी, कभी पड़ने पर शेष राशि भी भुगतान करना होगी। ठेका समाप्ति पर सुरक्षा निधि में शेष राशि को लौटाया जाएगा।

12- ठेका प्राप्त करने वाली एजेंसी को विद्यालय प्राचार्य के साथ इस संबंध में उचित स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड एग्रीमेंट अपने व्यय पर उपरोक्त शर्तों पर करना होगा।

यदि आप इस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दिनांक 08 जुलाई 2026 को समय दोपहर 02:00 बजे तक या उससे पूर्व विद्यालय प्राचार्य को एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें। निविदा उसी दिन सायं 04:45 बजे कमेटी मेंबर्स द्वारा प्राचार्य कक्ष में खोली जाएगी, जिसमें आप उपस्थित रह सकते हैं।

तुलनात्मक निविदा अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल के पास भेजी जाएगी। उनकी स्वीकृति उपरांत व सुरक्षा निधि राशि 35,000/- रुपये नकद प्राप्त होने पर ही वर्क ऑर्डर विद्यालय प्राचार्य द्वारा जारी किया जाएगा।

Teachers' Committee members and their signature-

  
24/07/2026

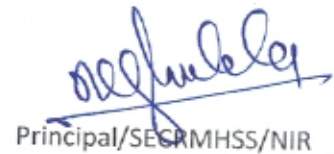
Anand Mishra (PGT)

  
02-7-2026

Santosh Kumar Yadav (PGT)

  
02/7/2026

Hansraj Vinobapuri (PST)

  
Principal/SECRMHSS/NIR

02.07.2026

9/c प्राचार्य /PRINCIPAL  
 द.पू.म.रे.मि.उ.मा.वि.नैनपुर  
 S.E.C.R.M.H.S.S. NAINPUR